SITAPUR POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट जनपद सीतापुर

थाना कमलापुर क्षेत्र अंतर्गत व्यक्ति की हत्या के मामले में

04 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

दिनांकः-17.10.2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद सीतापुर में महिला संबंधी अपराधों/ अन्य जघन्य अपराधों से संबंधित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवम् विधिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय श्री दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिधौली श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना कमलापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/26 धारा 191(2)/103(1)/352/115(2) bns व 3(2)(V) SC/ST ACT से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1.शुभम सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह 2.धीरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 युगराम सिंह 3.कल्पना सिंह पत्नी धीरेन्द्र सिंह 4.सुनिता सिहं पत्नी धर्मेन्द्र सिंह सर्व निवासीगण ग्राम ग्राम लोधौरा थाना कमलापुर सीतापुर को CHC कसमण्डा से पहले रोड के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 16.10.2026 को थाना कमलापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लुधौरा में मृतक मनोज पुत्र भरोसे उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम लोधौरा थाना कमलापुर सीतापुर अपनी पत्नी से कहासुनी के दौरान गाली-गलौज कर रहा था। इस बात पर अभियुक्तगणों को यह लगा कि मृतक मनोज द्वारा उन्हें गाली दी जा रही है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी व मारपीट शुरू हो गई,जिसमें अभियुक्तगणों द्वारा बारी-बारी से फावड़े के बेट (डंडेनुमा) से मृतक मनोज के सिर पर प्रहार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

* उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में धीरेंद्र पुत्र युगराम के पुत्र शिवम की हत्या हुई थी,जिसमें मनोज के चाचा के परिवार के लोग जेल गए थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में मृतक मनोज के विरुद्ध भी मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके चलते दोनों पक्षों में पूर्व से रंजिश चली आ रही थी।*

घटना में मृतक की पत्नी गुड़िया द्वारा अभियुक्तगणों द्वारा उनके पति मनोज की हत्या किए जाने के संबंध में थाना कमलापुर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 238/26 धारा 191(2)/103(1)/352/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST ACT के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीतापुर के निर्देशन में कमलापुर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यों/विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आरोपीगण उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद फावड़े का बेट (डण्डानुमा) बरामद कर अंतर्गत धारा 191(2)/103(1)/352/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST ACT में चालान मा.न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्तों का नाम/पता:-

1.शुभम सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ग्राम लोधौरा थाना कमलापुर सीतापुर
2.धीरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 युगराम सिंह निवासी ग्राम ग्राम लोधौरा थाना कमलापुर सीतापुर
3.कल्पना सिंह पत्नी धीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ग्राम लोधौरा थाना कमलापुर सीतापुर
4.सुनिता सिहं पत्नी धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ग्राम लोधौरा थाना कमलापुर सीतापुर

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 238/26 धारा 191(2)/103(1)/352/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST ACT थाना कमलापुर सीतापुर

पुलिस टीम थाना कमलापुर –

प्रभारी निरीक्षक श्रीमती ईतुल चौधरी
उ0नि0 श्री रामविशाल
का0 रविन्द्र
का0 निकित कुमार
का0 अजेन्द्र कुमार
रि0आ0 शशिकांत
म0आ0 साधना सिंह
म0आ0 रश्मि

सत्यमेव जयते
थाना-कमलापुर
जनपद-सीतापुर
सी. यू. जी. मो. 9454404249

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश पुलिस